



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-06102026-276862
CG-BR-E-06102026-276862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5247]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5247]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

पटना, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5457(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप खंड (II) तारीख 13 जनवरी 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1534 (अ) तारीख 29 मार्च, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, बिहार राज्य में जिला गया विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के हिस्से के रूप में सोन नगर—अंडाल (374.53 मार्ग किमी.) के निष्पादन, रख रखाव, प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, दैनिक जागरण में तारीख 21 अगस्त 2025 में प्रकाशित किया गया था,

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये,

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी,

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के हिस्से के रूप में सोन नगर-अंडाल (374.53 मार्ग किमी) रेल लाईन के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाले भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	मौजा का नाम	खाता सं.	प्लॉट सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हे.)	क्षेत्र (ए.)	जमीन का प्रकार	जमीन की प्रकृति	भूमि के मालिक/हितबद्ध रैयत का नाम
1	दुर्बे /177	177	601 1560	0.0550	0.1360	निजी	सिंचित	त्रिलोकी यादव पिता सोहराय यादव
2		17	600	0.2335	0.5770	निजी	सिंचित	झुन्नु यादव & मोहन यादव पिता सुखदेव यादव
3		30	1174 1505	0.0395	0.0976	निजी	सिंचित	जटु यादव पिता फागु यादव
कुल रकबा				0.3280	0.8106			
4	कुजापी/186	696	2701	0.0728	0.1800	निजी	सिंचित	कुन्ती देवी पति नारायण प्रसाद भगत
5		696	2703	0.0109	0.0270	निजी	सिंचित	गंगा प्रसाद वर्मा पिता किषुन महतो
6		746	1842	0.0506	0.1250	निजी	सिंचित	कृष्णा मांझी पिता प्रगास मांझी
कुल रकबा				0.1344	0.3320			
7	कटारी/182	271	60	0.1052	0.2600	निजी	सिंचित	रामलखन यादव पिता मोती यादव राजाराम यादव पिता हरिचरण यादव राजकुमार पिता हरिचरण यादव मुन्ना देवी पति रामरतन यादव
कुल रकबा				0.1052	0.2600			
सकल योग				0.5676	1.4026			

[फा. सं. ECR-HQo/CONS(CORS)/338]

राजीव गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(East Central Railway)
NOTIFICATION

Patna, the 22nd September, 2026

S.O. 5457(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1534 (E), dated the 13th January, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th March, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under Sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Special Railway Projects, Multi tracking of Son nagar -Andal (374.53 RKm) as part of Eastern Dedicated Freight Corridor;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers, namely, Dainik Bhashkar, Dainik Jagran dated the 21st August 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection were received and the same has been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be required with or without structure for special Railway Project Namely, Multi tracking of Son nagar - Andal (374.53 RKm.) as part of Eastern Dedicated Freight Corridor Rail Line in District Gaya under the State of Bihar.

S. No.	Name of Mouza	Khata No.	Plot Survey No.	Area (Hec.)	Area (Acre)	Type of Land	Nature of Land	Name of the Landowner/Intrest Persons
1	Durbe /177	177	601 1560	0.0550	0.1360	Pvt.	Irrigated	Triloki Yadav S/o Soharai Yadav
2		17	600	0.2335	0.5770	Pvt.	Irrigated	Jhunnu Yadav & Mohan Yadav S/o Sukhadev yadav
3		30	1174 1505	0.0395	0.0976	Pvt.	Irrigated	Jattu Yadav S/o Fagu yadav
			Total	0.3280	0.8106			
4	Kujapi /186	696	2701	0.0728	0.1800	Pvt.	Irrigated	Kunti Devi W/o Narayan Prasad Bhagat
5		696	2703	0.0109	0.0270	Pvt.	Irrigated	Ganga Prasad Varma S/o Kishun Mahto
6		746	1842	0.0506	0.1250	Pvt.	Irrigated	Krishna Manjhi S/o Pragas Manjhi
			Total	0.1344	0.3320			
7	Katari /182	271	60	0.1052	0.2600	Pvt.	Irrigated	Ramlakhan Yadav S/o Moti Yadav, Rajaram Yadav S/o Haricharan Yadav & Rajkumar S/o Haricharan Yadav, Munna Devi W/o Ramratan Yadav
			Total	0.1052	0.2600			
Grand Total				0.5676	1.4026			

[F. No. ECR-HQo/CONS(CORS)/338]

RAJIV GUPTA, Chief Administrative Officer/ Construction